रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072026-274349
CG-DL-E-10072026-274349

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3581] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948
No. 3581] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

का.आ. 3743(अ).— केंद्र सरकार आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) (एतश्मिन् पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया) की धारा 147 के साथ पठित धारा 400(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा अधिसूचित करती है कि किसी भी भुगतानकर्ता के द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट कोई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई है, उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले भुगतान के संबंध में उक्त कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कोई कटौती नहीं की जाएगी: -

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) की एक इकाई द्वारा प्राप्य भुगतानों की सूची

सारणी

क्र.सं.	**अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी यूनिट) (भुगतान प्राप्तकर्ता)**	**प्राप्ति की प्रकृति**	**आयकर अधिनियम, 2025 के अनुसार प्रासंगिक टीडीएस प्रावधान**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बैंकिंग इकाई	ब्याज आय पर बाहरी वाणिज्यिक उधारी/ऋण	धारा 393(2) [सारणी: क्र.सं. 17]
		व्यावसायिक शुल्क	धारा 393 (1) [सारणी: क्र. सं. 6 (iii)]
		रेफरल शुल्क	धारा 393 (1) [सारणी: क्र.सं. 1(ii)]
		ब्रोकरेज आय	धारा 393 (1) [सारणी: क्र.सं. 1(ii)]
		कमीशन आय फैक्टरिंग और फोरफेटिंग सेवाओं पर	धारा 393 (1) [सारणी: क्र.सं. 1(ii)]
2.	आईएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालय	बीमा आयोग	धारा 393(1)[सारणी: क्र.सं. 1(i)]
3.	वित्त कंपनी	ब्याज आय पर बाहरी वाणिज्यिक ऋण/ऋण	धारा 393(1)[सारणी: क्र.सं. 5(ii)&5(iii)]/धारा 393(2) [सारणी: क्र.सं. 17]
		लाभांश आय	धारा 393 (1) [सारणी: क्र. सं. 7]
		कमीशन आय फैक्टरिंग और फोरफेटिंग सेवाओं पर	धारा 393 (1) [सारणी: क्र.सं. 1(ii)]
4.	वित्त इकाई	ब्याज आय पर बाहरी वाणिज्यिक ऋण/ऋण	धारा 393(1)[सारणी: क्र.सं. 5(ii) &5(iii)]/धारा 393(2) [सारणी: क्र.सं. 17]
		लाभांश आय	धारा 393 (1) [सारणी: क्र. सं. 7]
		कमीशन आय फैक्टरिंग और फोरफेटिंग सेवाओं पर	धारा 393 (1) [सारणी: क्र.सं. 1(ii)]
5.	निधि प्रबंधन इकाई	व्यावसायिक शुल्क	धारा 393 (1) [सारणी: क्र. सं. 6 (iii)]
6.	ब्रोकर डीलर	लाभांश	धारा 393 (1) [सारणी: क्र. सं. 7]
7.	निवेश सलाहकार	निवेश सलाह शुल्क	धारा 393 (1) [सारणी: क्र. सं. 6 (iii)]
8.	पंजीकृत वितरक	वितरण शुल्क और कमीशन शुल्क	धारा 393 (1) [सारणी: क्र.सं. 1(ii)]

9.	संरक्षक	व्यावसायिक शुल्क	धारा 393 (1) [सारणी: क्र. सं. 6 (iii)]
		कमीशन शुल्क	धारा 393 (1) [सारणी: क्र.सं. 1(ii)]
10.	क्रेडिट रेटिंग सरकारी एजेंसी	क्रेडिट रेटिंग शुल्क	धारा 393 (1) [सारणी: क्र. सं. 6 (iii)]
11.	निवेश बैंकर	निवेश बैंकर शुल्क	धारा 393 (1) [सारणी: क्र. सं. 6 (iii)]
12.	डिबेंचर न्यासी	ट्रस्टीशिप शुल्क	धारा 393 (1) [सारणी: क्र. सं. 6 (iii)]
13.	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवा या "आईटीएफएस"	कमीशन आय	धारा 393 (1) [सारणी: क्र.सं. 1(ii)]
14.	फिनटेक इकाई	तकनीकी शुल्क/व्यावसायिक शुल्क	धारा 393 (1) [सारणी: क्र. सं. 6 (iii)]
		कमीशन आय	धारा 393 (1) [सारणी: क्र.सं. 1(ii)]

2. (1) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, –

(क) "बैंकिंग इकाई" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 के विनियमन 2 के उप-विनियमन (1) के खंड (ग) में दिया गया है;

(ख) "ब्रोकर डीलर" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, 2021 के विनियमन 2 के उप-विनियमन (1) के खंड (छ) में दिया गया है और उक्त विनियमों के विनियम 3, 5, 6 और 7 के प्रावधान उक्त सारणी के कॉलम (2) के अंतर्गत क्रम संख्या 6 के सामने निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई पर लागू होंगे;

(ग) "क्रेडिट रेटिंग एजेंसी" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, 2021 के विनियमन 2 के उप-विनियमन (1) के खंड (ञ) में सौंपा गया है और उक्त विनियमों के विनियम 3, 5, 6 और 7 के प्रावधान उपरोक्त सारणी के कॉलम (2) के अंतर्गत क्रम संख्या 10 के सामने निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई पर लागू होंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा इस तरह की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां के पंजीकरण के अधीन है;

(घ) "संरक्षक" का वही अर्थ होगा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, 2021 के विनियमन 2 के उप-विनियमन (1) के खंड (ठ) में दिया गया है और उक्त विनियमों के विनियम 3, 5, 6 और 7 के प्रावधान उक्त सारणी के कॉलम (2) के अंतर्गत क्रम संख्या 9 के सामने निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई पर लागू होंगे;

(ङ) "डिबेंचर ट्रस्टी" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उप-विनियमन (1) के खंड (ड) में दिया गया है और उक्त विनियमों के विनियम 3, 5, 6 और 7 के प्रावधान उपरोक्त सारणी के कॉलम (2) के अंतर्गत क्रम संख्या 12 के सामने निर्दिष्ट है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र

इकाई पर लागू होंगे,बशर्ते कि ऐसे डिबेंचर ट्रस्टी का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण किया गया हो;

(च) "वित्त कंपनी" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 के विनियमन 2 के उप-विनियमन (1) के खंड (ई) में दिया गया है;

(छ) "वित्त इकाई" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 के विनियमन 2 के उप-विनियमन (1) के खंड (च) में दिया गया है;

(ज) "फिनटेक इकाई" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के दिनांक 27 अप्रैल, 2022 के परिपत्र संख्या 521/आईएफएससीए/फिनटेक/एफई फ्रेमवर्क/2022-23, के पैराग्राफ 2 के पैरा (i) में दिया गया है और उक्त परिपत्र का पैराग्राफ 12 उक्त सारणी के कॉलम (2) के अंतर्गत क्रम संख्या 14 के सामने निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई पर लागू होगा;

(झ) "निधि प्रबंधन इकाई" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के विनियमन 2 के उप-विनियमन (1) के खंड (त) में दिया गया है और उक्त विनियमों के विनियम 3, 4 और 5 के प्रावधान उक्त सारणी के कॉलम (2) के अंतर्गत क्रम संख्या 5 के सामने निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई पर लागू होंगे।

(ञ) "आईएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालय" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा मध्यस्थ) विनियम, 2021 के विनियमन 3 के उप-विनियमन (1) के खंड (ण) में दिया गया है।

(ट) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में दिया गया है।

(ठ) "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवा" या "आईटीएफएस" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के दिनांक 9 जुलाई, 2021 के परिपत्र संख्या 388/आईएफएससीए/आईटीएफएस प्लेटफॉर्म/2021-22, के पैरा 2 (बी) के पैराग्राफ 2 (बी) में दिया गया है और उक्त परिपत्र का पैराग्राफ 2 (ङ) उक्त सारणी के कॉलम (2) के अंतर्गत क्रम संख्या 13 के सामने निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई पर लागू होगा।

(ड) "निवेश सलाहकार" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उप-विनियमन (1) के खंड (न) में दिया गया है (विनियमन 3 के उप-विनियमन (1) के खंड (च) के परंतुक के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को छोड़कर), और उक्त विनियमों के विनियम 3, 5, 6 और 7 के प्रावधान के उक्त सारणी के कॉलम (2) के अंतर्गत क्रम संख्या 7 के सामने निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई पर लागू होंगे।

(ढ) "निवेश बैंकर" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, 2021 के विनियमन 2 के उप-विनियमन (1) के खंड (प) में दिया गया है और उक्त विनियमों के विनियम 3, 5, 6 और 7 के प्रावधान उक्त सारणी के कॉलम (2) के अंतर्गत क्रम संख्या 11 के सामने निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई पर लागू होंगे;

(ण) "पंजीकृत वितरक" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उप-विनियमन (1) के खंड (डीडीए) में दिया गया है और उक्त विनियमों के विनियम 3, 5, 6 और 7 के प्रावधान उक्त सारणी के कॉलम (2) के अंतर्गत क्रम संख्या 8 के सामने निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई पर लागू होंगे।

(त) "इकाई" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (य ग) में दिया गया है।

(थ) सभी परिस्थितियों में "भुगतानकर्ता" उक्त अधिनियम की धारा 2(61) और धारा 147(5)(ख) के अंतर्गत अर्थ के भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई बनी रहेगी।

(द) इस अधिसूचना के अंतर्गत अर्हता प्राप्त करने वाली सेवाएं निम्नलिखित के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं होगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा मध्यस्थ) विनियम, 2021 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, 2021 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विनियम, 2021 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वित्तीय सेवाएं होंगी सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का, दिनांक 9 जुलाई, 2021 का परिपत्र या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, का दिनांक 27 अप्रैल, 2022; का परिपत्र

(ध) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के प्रासंगिक विनियमन या परिपत्र के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा।

(2) उपर्युक्त प्रावधान निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं, यथा:-

(क) भुगतानकर्ता -

(i) इस अधिसूचना के साथ संलग्न फॉर्म सं.1 (एन) में एक विवरण-सह-घोषणा प्रस्तुत करें (इसके बाद उक्त फॉर्म के रूप में संदर्भित) भुगतानकर्ता को लगातार बीस कर वर्षों का विवरण देते हुए, जिसके लिए भुगतानकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत कटौती का दावा करने का विकल्प चुनता है; तथा

(ii) इस तरह के विवरण-सह-घोषणा को लगातार बीस कर वर्षों में से प्रत्येक कर वर्ष के लिए उक्त प्रपत्र में निर्धारित तरीके से प्रस्तुत और सत्यापित किया जाएगा, जिसके लिए प्राप्तकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत कटौती का दावा करने का विकल्प चुनता है।

(ख) भुगतानकर्ता -

(i) भुगतानकर्ता से उक्त प्रपत्र में विवरण-सह-घोषणा की प्रति प्राप्त होने की तारीख के बाद भुगतान प्राप्त कर्त्ता को किए गए या जमा किए गए भुगतान पर कर की कटौती नहीं करना; तथा

(ii) आयकर नियम, 2026 के नियम 219 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 397(3)(ख) में निर्दिष्ट कर की कटौती के विवरण में भुगतानकर्ता को किए गए सभी भुगतानों का विवरण भी प्रस्तुत करें, जिन पर इस अधिसूचना के अनुसरण में कर कटौती नहीं की गई है।

(3) उपरोक्त छूट प्राप्तकर्ता को केवल उक्त बीस लगातार कर वर्षों के दौरान उपलब्ध होगी, जैसा कि भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा उक्त प्रपत्र में घोषित किया गया है, जिसके लिए धारा 147 के अंतर्गत कटौती का विकल्प चुना जा रहा है और भुगतानकर्ता किसी अन्य वर्ष के लिए ऊपर उल्लिखित भुगतान पर कर काटने के लिए उत्तरदायी होगा।

3. आयकर प्रधान महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली), जैसा भी मामला हो, सुरक्षित रूप से डेटा एकत्र करने, भेजने और दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्रक्रियाओं, प्रारूपों और मानकों को निर्धारित करेंगे और वे उचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुनर्प्राप्ति नीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

4. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2026 से लागू मानी जाएगी।

फॉर्म सं. 1 (एन)

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (भुगतान प्राप्त कर्त्ता) की एक इकाई द्वारा भुगतानकर्ता को प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण-सह-घोषणा

भाग-क				
1.	**नाम**		*(नोट 1 देखें)*	
2.	**पैन**			
3.	**आईएफएससी में स्थित इकाई का नाम**		*(नोट 1 देखें)*	
4.	**आईएफएससी में स्थित इकाई का पता**		*(नोट 2 देखें)*	
5.	**दूरभाष सं.**		कंट्री कोड	संख्या
6.	**ईमेल आईडी**			
7.	**कर वर्ष**		*वर्ष*	
भाग-ख				
8.	**"प्रासंगिक कर वर्ष" निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए, प्राप्त अनुमति या पंजीकरण का विवरण**			
	(i)	**प्राप्त किया गया अनुमति या पंजीकरण** *(एक का चयन करें)*	(अ) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 23(1)(क); या (आ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15); या	

			(इ) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50); या (ई) आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 147 में उल्लिखित कोई अन्य प्रासंगिक कानून।
	(ii)	**प्राधिकारी**	
	(iii)	**दिनांक**	*दिन/महीना/वर्ष*
	(iv)	**संदर्भ संख्या**	
9.	**वह अवधि जिसके लिए कटौती का दावा करने का विकल्प चूना गया:**		
	(i)	**कर वर्ष से:**	
	(ii)	**कर वर्ष के लिए:**	
10.	**प्रारंभिक कर वर्ष जिसके लिए कटौती का दावा किया गया था**		*वर्ष*

विवरण-सह-घोषणा

मैं .... (घोषणाकर्ता का नाम), स्थायी खाता संख्या .... , ... (भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम) की/के..................... की क्षमता में, एतद्द्वारा, घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त इकाई .... के व्यवसाय में लगी हुई है और आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 147 के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र है।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाई ने कर वर्ष................ से कर वर्ष............. तक की अवधि के लिए उक्त कटौती का दावा करने का विकल्प चुना है।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त इकाई कर वर्ष............. से कर वर्ष..........., जिसमें यह विवरण-सह-घोषणा प्रस्तुत की जा रही है, के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में कार्यरत इकाई बनी हुई है।

सत्यापन

मैं,......................, ... (भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम) की............. क्षमता में, एतद्द्वारा, प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त दिए गए ब्यौरे सही और पूर्ण है।

स्थान: घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक: नाम:

पदनामः

[आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 265 में प्रदान की गई आय की विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है]।

नोट: - 1. नाम पूर्ण रूप से प्रदान किया जाएगा।

नोट:-2. पते में (i) देश/क्षेत्र, (ii) फ्लैट/दरवाजा/भवन, (iii) सड़क/गली/ब्लॉक/सेक्टर, (iv) पिन/ज़िप कोड, (v) डाकघर, (vi) क्षेत्र/इलाका, (vii) जिला, (viii) राज्य शामिल होंगे

नोट: - 3. फॉर्म में कुछ जानकारी यथासंभव पहले से भरी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 80/2026/फा.सं. 275/19/2026-आईटी(बी)]

राजेंद्र कुमार मीणा, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापनः एत्तद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होने पर किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2026

S.O. 3743(E).— In exercise of the powers conferred by section 400(1) read with section 147 of the Income-tax Act, 2025(30 of 2025) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies that no deduction of tax shall be made under the provisions of the said Act as specified in column (4) of the Table below in respect of the payments, as specified in column (3) of the said Table, made by any payer to a person being a Unit of International Financial Services Centre, (hereinafter referred as the payee), as specified in column (2) of the said Table:-

List of payments receivable by a Unit of International Financial Services Centre (IFSC)

TABLE

Sl. No.	**International Financial Services Centre (IFSC Unit) (Payee)**	**Nature of receipt**	**Relevant TDS provisions as per Income- tax Act, 2025**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Banking Unit	Interest income on External Commercial Borrowings /Loans	Section 393(2) [Table: S.No. 17]
		Professional fees	Section 393 (1) [Table: S. No. 6(iii)]
		Referral fees	Section 393 (1) [Table: S.No. 1(ii)]
		Brokerage income	Section 393 (1) [Table: S.No. 1(ii)]

		Commission income on factoring and forfaiting services	Section 393 (1) [Table: S.No. 1(ii)]
2.	IFSC Insurance Intermediary office	Insurance commission	Section 393(1)[Table: S.No. 1(i)]
3.	Finance Company	Interest income on External Commercial Borrowings /Loans	Section 393(1)[Table: S.No. 5(ii)&5(iii)]/Section 393(2) [Table: S.No. 17]
		Dividend income	Section 393 (1) [Table: S. No. 7]
		Commission income on factoring and forfaiting services	Section 393 (1) [Table: S.No. 1(ii)]
4.	Finance Unit	Interest income on External Commercial Borrowings /Loans	Section 393(1)[Table: S.No. 5(ii) &5(iii)] / Section 393(2) [Table: S.No. 17]
		Dividend income	Section 393 (1) [Table: S. No. 7]
		Commission income on factoring and forfaiting services	Section 393 (1) [Table: S.No. 1(ii)]
5.	Fund Management entity	Professional fee	Section 393 (1) [Table: S. No. 6(iii)]
6.	Broker Dealer	Dividend	Section 393 (1) [Table: S. No. 7]
7.	Investment advisor	Investment advisory fee	Section 393 (1) [Table: S. No. 6(iii)]
8.	Registered Distributor	Distribution fee and Commission fee	Section 393 (1) [Table: S.No. 1(ii)]
9.	Custodian	Professional fee	Section 393 (1) [Table: S. No. 6(iii)]
		Commission fee	Section 393 (1) [Table: S.No. 1(ii)]
10.	Credit rating agency	Credit rating fee	Section 393 (1) [Table: S. No. 6(iii)]
11.	Investment banker	Investment banker fee	Section 393 (1) [Table: S. No. 6(iii)]
12.	Debenture trustee	Trusteeship fee	Section 393 (1) [Table: S. No. 6(iii)]
13.	International Trade Finance Service or "ITFS"	Commission income	Section 393 (1) [Table: S.No. 1(ii)]
14.	FinTech Entity	Technical fee/Professional fee	Section 393 (1) [Table: S. No. 6(iii)]
		Commission income	Section 393 (1) [Table: S.No. 1(ii)]

2. (1) For the purposes of this notification,–

(a) "Banking Unit" shall have the same meaning as assigned to it in clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020;

(b) "broker dealer" shall have the same meaning as assigned to it in clause (g) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 and the provisions of regulations 3, 5, 6 and 7 of the said regulations shall apply to the International Financial Services Centre Unit specified against serial number 6 under column (2) of the said table;

(c) "credit rating agency" shall have the same meaning as assigned to it in clause (j) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 and the provisions of regulations 3, 5, 6 and 7 of the said regulations shall apply to the International Financial Services Centre Unit specified against serial number 10 under column (2) of the above table subject to registration of such credit rating agencies by the International Financial Services Centres Authority;

(d) "custodian" shall have the same meaning as assigned to it in clause (l) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 and the provisions of regulations 3, 5, 6 and 7 of the said regulations shall apply to the International Financial Services Centre Unit specified against serial number 9 under column (2) of the said table;

(e) "debenture trustee" shall have the same meaning as assigned to it in clause (m) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 and the provisions of regulations 3, 5, 6 and 7 of the said regulations shall apply to the International Financial Services Centre Unit specified against serial number 12 under column (2) of the above table subject to registration of such debenture trustee by the International Financial Services Centres Authority;

(f) "Finance Company" shall have the same meaning as assigned to it in clause € of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Finance Company) Regulations, 2021;

(g) "Finance Unit" shall have the same meaning as assigned to it in clause (f) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Finance Company) Regulations, 2021;

(h) "FinTech Entity" shall have the same meaning as assigned to it in sub-paragraph (i) of paragraph 2 of the International Financial Services Centres Authority's Circular No. 521/IFSCA/FinTech/FE Framework/2022-23, dated the 27th April, 2022 and paragraph 12 of the said circular shall apply to the International Financial Services Centre Unit specified, against serial number 14 under column (2) of the said table;

(i) "fund management entity" shall have the same meaning as assigned to it in clause (p) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022 and the provisions of regulations 3, 4 and 5 of the said regulations shall apply to the International Financial Services Centre Unit specified against serial number 5 under column (2) of the said table;

(j) "IFSC insurance intermediary office" shall have the same meaning as assigned to it in clause (s) of sub-regulation (1) of regulation 3 of the International Financial Services Centres Authority (Insurance Intermediary) Regulations, 2021;

(k) "International Financial Services Centre" shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);

(l) "International Trade Finance Service" or "ITFS" shall have the same meaning as assigned to it in sub-paragraph (iii) of paragraph 2(B) of the International Financial Services Centres Authority's Circular No. 388/IFSCA/ITFS platform/2021-22, dated the 9th July, 2021 and paragraph 2€ of the said circular shall apply to the International Financial Services Centre Unit specified against serial number 13 under column (2) of the said table;

(m) "investment adviser" shall have the same meaning as assigned to it in clause (t) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 (except the persons covered under proviso to clause (f) of sub-regulation (1) of regulation 3), and the provisions of regulations 3, 5, 6 and 7 of the said regulations shall apply to the International Financial Services Centre Unit specified against serial number 7 under column (2) of the said table;

(n) "investment banker" shall have the same meaning as assigned to it in clause (u) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 and the provisions of regulations 3, 5, 6 and 7 of the said regulations shall apply to the International Financial Services Centre Unit specified against serial number 11 under column (2) of the said table;

(o) "registered distributor" shall have the same meaning as assigned to it in clause (dda) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 and the provisions of regulations 3, 5, 6 and 7 of the said regulations shall apply to the International Financial Services Centre Unit specified against serial number 8 under column (2) of the said table;

(p) "Unit" shall have the same meaning as assigned to it in clause (zc) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);

(q) the "payee" under all circumstances shall remain an International Financial Services Centre Unit within the meaning under section 2(61) and section 147(5)(b) of the said Act;

(r) the services qualifying under this notification shall be the financial services under the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020 or the International Financial Services Centres Authority (Insurance Intermediary) Regulations, 2021 or the International Financial Services Centres Authority (Finance Company) Regulations, 2021 or the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 or the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022 or the International Financial Services Centres Authority's Circular, dated the 9th July, 2021 or the International Financial Services Centres Authority's Circular, dated the 27th April, 2022;

(s) the International Financial Services Centre Unit shall be registered under relevant regulation or circular of International Financial Services Centres Authority.

(2) The above provisions are subject to the following conditions, namely:-

(a) The payee shall –

(i) furnish a statement-cum-declaration in Form No.1(N) annexed to this notification (hereinafter referred to as the said Form) to the payer giving details of the twenty consecutive tax years for which the payee opts for claiming deduction under section 147 of the said Act; and

(ii) such statement-cum-declaration shall be furnished and verified in the manner prescribed in the said Form, for each tax year out of twenty consecutive tax years for which the payee opts for claiming deduction under section 147 of the said Act.

(b) The payer shall –

(i) not deduct tax on payment made or credited to payee after the date of receipt of copy of statement- cum- declaration in the said Form from the payee; and

(ii) also furnish the particulars of all the payments made to payee on which tax has not been deducted in pursuance of this notification in the statement of deduction of tax referred to in section 397(3)(b) of the said Act read with rule 219 of the Income-tax Rules, 2026.

(3) The above relaxation shall be available to the payee only during the said twenty consecutive tax years as declared by the payee in the said Form for which deduction under section 147 is being opted and the payer shall be liable to deduct tax on payments as referred above for any other year.

3. The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down procedures, formats and standards for ensuring secure capture and transmission of data and uploading of documents and they shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies.

4. This notification shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2026.

FORM No. 1(N)

Statement-cum-declaration to be furnished by a Unit of International Financial Services Centre (payee) to the payer

<table>
<tr><th colspan="5">PART-A</th></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">Name</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">PAN</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">Name of the unit located in IFSC</td><td colspan="2">(refer Note 1)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="2">Address of the unit located in IFSC</td><td colspan="2">(refer Note 2)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="2">Contact number</td><td>Country Code</td><td>Number</td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="2">Email ID</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="2">Tax year</td><td colspan="2">YYYY-YY</td></tr>
<tr><th colspan="5">PART-B</th></tr>
<tr><td rowspan="3">8.</td><td colspan="4">For the purposes of determining “relevant tax year”, the details of permission or registration obtained</td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>Permission or Registration Obtained under

(select one)</td><td colspan="2">(a) section 23(1)(a) of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949); or
(b) the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992); or
(c) the International Financial Services Centre Authority Act, 2019 (50 of 2019); or
(d) any other relevant law as mentioned in section 147 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025).</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>Authority</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	(iii)	**Date**	*dd/mm/yyyy*
	(iv)	**Reference number**	
9.	**Period for which the deduction is opted to be claimed:**		
	(i)	**From tax year :**	
	(ii)	**To Tax year :**	
10.	**Initial tax year for which deduction was claimed**		*YYYY-YY*

Statement-cum-Declaration

I ....(name of the declarant) having Permanent Account Number ....in capacity as .... of ....(name of the payee), do hereby declare that the above-mentioned Unit is engaged in the business of ………………. and is eligible for deduction under section 147 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025).

I further declare that the above-mentioned International Financial Services Centre Unit has opted to claim the said deduction for the period from the tax year………..to the tax year………

I further declare that the above mentioned Unit continues to be a unit working in International Financial Services Centre and continues to be engaged in the business of .... during the tax year .... in which this statement-cum- declaration is being submitted.

Verification

I..................... in capacity as.......... of.................... (name of the payee) do hereby certify that all the particulars furnished above are correct and complete.

Place:
Date:

Signature of the declarant
Name:
Designation:

[To be signed by a person competent to sign the return of income as provided in section 265 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025)].

Note:-1. The name shall be provided in full.
Note:-2. The address shall contain (i) Country/Region, (ii) Flat/Door/Building, (iii) Road/Street/ Block/Sector, (iv) PIN/ZIP Code, (v) Post Office, (vi) Area/locality, (vii) District, (viii) State
Note:-3. Some of the information in the form would be pre-filled to the extent possible.

[Notification No. 80/2026/F.No. 275/19/2026-IT(B)]

RAJENDRA KUMAR MEENA, Under Secy.

Explanatory Memorandum: It is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA